

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.-२७/२२

सुरेश वगैरह बनाम, गुल्ली वगैरह

किस्ममुकदमा- दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही गय इतिशियत्याजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

दिनांक...२०/६/२९

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक...को पेश हो।

२५/७/२९

दिनांक...२५/७/२९

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक...को पेश हो।

दिनांक...२९-८-२५

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक...को पेश हो।

०१/१०-२५ पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु हाईकोर्ट जमशुद पधारे जिससे न्यायिक कार्य बाधी हो सका। पत्रावली अनुसार दिनांक १-११-२५ को पेश हो

१-११-२५

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को

०१-२ आवाज लगायी गयी। उभय पक्ष अनुपस्थित। पक्षकारान को

अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे पत्रावली में कोई कार्यवाही करने के बन्दु के

जही है। इसलिये यह वाद पत्र पक्षकारान की अदम दायरी अदम पेशी में इबारिक किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार

दौकर दायरील दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)